

तहरीर करना बगवा है। जो परिवारी ने जबाब के साथ  
 पेश किया है। वह बंजरारा रजिस्टर्ड नहीं है एवं समुचित  
 स्टाम्प पर नहीं है। जो साक्ष्य में ग्राह नहीं है और उम्  
 बंजरारा से DIF भरतपुर से इम्पाउंड किये जाने का निवेदन  
 किया है। उम् प्रार्थना पत्र का परिवारी द्वारा जबाब प्रस्तुत  
 कथन किया है कि उम् बंजरारा (सिखापदी) प्रोपर्टी स्टाम्प पर  
 है एवं नोटरी पब्लिक से प्रमाणित है जो साक्ष्य में ग्राही है  
 बंजरारा नामा कारीकारक समझा है जो पर्याप्त स्टाम्प पर है  
 जिसे इम्पाउंड की आवश्यकता नहीं है। वही प्रार्थना पत्र  
 प्रकरण की डेरीना करने की नीयत से पेश किया है।

बदल वहील फरीबिन का मनन किया गया प्रकरण सभी  
 साक्ष्यवादी में है एवं दस्तावेज असल बंजरारा परिवारी गण  
 द्वारा फावली में प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि फोटोकॉपी प्रस्तुत  
 की है। इस स्टेज पर उम् दस्तावेज के गहन करने एवं  
 इम्पाउंड करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना का वाकी  
 प्रार्थी समर्थित है। अतः प्रार्थना पत्र वाकी प्रार्थी स्वीकार किया  
 जा रहा है। फावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 10/5/17 को पेश  
 है। (4)

10/5/17 फावली राज लोके अदालत उम् मोंगेपुरा पर पेश हुई।  
 प्रमाणित उपास्थिर नहीं। फावली दिनांक 30/6/17 को  
 पेश है। (4)

30/6 फावली पेश हुई। वहील फरीबिन उपास्थिर। फावली वास्ते साक्ष्यवादी  
 दिनांक 13/7/17 को पेश है। (4)

19/7/17 फावली वेध कमील फरीबिन उपास्थिर। फावली वास्ते साक्ष्यवादी  
 दि. 28/8/17 को पेश है। (4)

28/8/17 फावली पेश हुई। वहील फरीबिन उपास्थिर। फावली P.O  
 साधव अवकाश पर है। फावली उपस्थित दिनांक  
 22.8.17 को पेश है। रिपु

23/8/17 फावली पेश हुई। वहील वादी व वादी  
 उपस्थित वही वहील परिवारी गण उपास्थिर।

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कई आवाज लगाने पर वकील वारीगठ  
 उपस्थित आये जिन्होंने प्रकृष्ट मेवारी  
 डि और से हिदायत पेश की बही होना  
 बताया। अतः वारी व वकील वारी उप  
 बही होने से दावा वारी अदम बाजरी  
 व अदम पेश की एवं अदम सबूत में  
 व्यापारिक बिना जाग हो फगावती केवल  
 सुमार होकर लभ्य से कम होकर साक्षि  
 दपत्र हो ! (4)

उपखण्ड अधिकारी  
 मण्डरायल जिला-करीली

दियावकी  
 प्राप्त की  
 है  
 अद.  
 23/8/17